प्रधान सचिव, गृह विभाग के अध्यक्षता में 11.06.2014 को पुराना सचिवालय सभाकक्ष में आयोजित IVFRT एवं NDAL के राज्यस्तरीय सम्मेलन–सह– प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– उपस्थिति विवरणी के अनुसार

आगत अतिथियों के स्वागत के बाद प्रधान सचिव के द्वारा NDAL तथा IVFRT के सम्बन्ध में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई तथा बतलाया गया कि ऑन–लाईन कार्य के प्रारंभिक अवस्था में जानकारी के अभाव में कठिनाई महसूस होगी, परन्तु जब हम इसका उपयोग करने लगते हैं तो यह आसान एवं उपयोगी साबित होती है। अतः इसका उपयोग कर ई–गर्वनेन्स की दिशा में आगे बढ़ें। यह आमजन तथा जिला प्रशासन के लिए काफी लाभप्रद होगा। गृह विभाग, बिहार सरकार एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी अनुश्रवण में सुविधा होगी। उन्होंने गृह मंत्रालय के इन दोनों कार्यक्रमों को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पूरा करने का निदेश दिया।

इसके बाद विशेष सचिव गृह (विशेष) विभाग श्री आलोक राज, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा, श्री जे0एस0 गंगवार, MHA से आये Immigration Director, श्री आशुतोष कुमार सिंहा, State Informatics officer, NIC, श्री राजेश कुमार सिंह, Regional Passport Officer, श्री आनन्द कुमार ने भी सम्मेलन को संबोधित किया तथा अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया।

NDAL के संबंध में

NDAL के सम्बन्ध में जिला से आये प्रतिभागियों को जानकारी दी गई कि 1st Oct 2015 के पूर्व जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का details, database में प्रविष्ट होकर UIN Generate कर लिया जाना है। अन्यथा 1st Oct 2015 के बाद अप्रविष्ट अनुज्ञप्ति invalid माने जायेंगे। ऐसी स्थिति में सभी जिला में अभियान चलाकर इस काम को पूरा किया जाना है। इसके बाद इसके प्रगति की समीक्षा की गई। जिलावार बिन्दुवार स्थिति निम्न प्रकार हैः–

1. (i) **Nodal Officer का मनोनयनः–** सभी जिला पदाधिकारी को NDAL के लिए एक Nodal Officer मनोनित कर उनका नाम,पता, ईमेल न0 तथा मोबाईल नं0 भेजना था। अभी तक चार जिला यथा **गोपालगंज, मधुबनी, रोहतास एवं सीतामढ़ी** के जिला पदाधिकारी के द्वारा नोडल पदाधिकारी को मनोनित कर विभाग को सूचना नहीं दी गई है। जिला के उपस्थित प्रतिनिधि को लौटती डाक से इसे भेजवाने का निदेश दिया गया।

   (ii) **NDAL में डाटा प्रविष्टिः–** अभी तक 38 जिला में से मात्र 17 जिला यथा **(1) नवादा, (2) सिवान, (3) मुंगेर, (4) भोजपुर, (5) सुपौल, (6) वैशाली, (7) औरंगाबाद, (8) नालंदा, (9) जहानाबाद, (10) पटना, (11) बक्सर, (12) दरभंगा, (13) गया, (14) बांका, (15) पूर्वी चम्पारण, (16) गोपालगंज (17) सहरसा** में ही NDAL के डाटाबेस में प्रविष्टि प्रारंभ की गई है। इनके भी प्रविष्टि की संख्या काफी कम है। निदेश दिया गया कि जिन 21 जिलों में प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वहाँ प्रशिक्षण से लौटते ही कार्य प्रारंभ करवाया जाय तथा जिन जिलों में कार्य प्रारंभ हुआ लेकिन प्रगति धीमी है, वहाँ कार्य में तेजी लाया जाय।

2. जिन अनुज्ञप्तियों को Renewal के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उनके अनुज्ञप्तिधारियों से वांछित सूचना प्राप्त कर उन्हें database में प्रविष्ट करने के बाद ही इसका Renewal करने तथा नये अनुज्ञप्ति के स्वीकृति के समय भी इसे अपनाने का निदेश दिया गया।

यह भी निदेशित किया गया कि जिन अनुज्ञप्तिधारियों का नवीकरण अभी due नहीं है, उन्हें थाना के चौकीदार या अन्य माध्यम से विहित प्रपत्र के साथ सूचना तामिला कराया जाय, जिसमें यह अंकित हो कि निर्धारित समय तक विहित पपत्र में सूचना जिला शस्त्र शाखा में उपलब्ध नहीं कराने पर अनुज्ञप्ति निलंबित तथा शस्त्र जप्त की जा सकती है। विहित प्रपत्र पटना जिला प्रशासन के Website से download कर उसका उपयोग किया जा सकता है।

3. इसके प्रचार–प्रसार के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रोत यथा अखबार, एफ0एम0 रेडियो, स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधि, पंचायत स्तर के कर्मी यथा– पंचायत सेवक, जनसेवक, राजस्व कर्मचारी, सिनेमा स्लाईड इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है।

थाना स्तर पर जिस प्रकार उस थाना क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारियों को बुलाकर निर्वाचन तथा अन्य अवसर पर शस्त्र का भौतिक सत्यापन किया जाता है, उसी प्रकार उन्हें इस कार्य के लिए थाना में बुलाकर उन्हें प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए उनसे सुचना प्राप्त की जा सकती है।

4. बतलाया गया कि सभी Mandatory field में प्रविष्टि के बाद प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए अलग–अलग एक UIN Generate होगा जिसे शस्त्रपंजी में तथा अनुज्ञप्तिधारी को बुलाकर उनके अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि करना होगा। UIN तभी Generate किया जाय जब सभी field सही–सही भर लिया जाय। अन्यथा इसके Generate होने के बाद data में कोई संशोधन नहीं हो पायेगा।

5. कुछ जिला के प्रतिनिधियों के द्वारा बतलाया गय कि उनके जिला के कुछ नये थाने का नाम तथा कोड नं0 Software में नहीं है। उन्हें बतलाया गया कि DIO, NIC इसे अपने स्तर से कोडिंग कर इसे शामिल कर सकते है। इसकी व्यवस्था Software में है। बैठक में जानकारी दी गई कि यदि कोई थाना दो जिला में पड़ता है तो उसकी Specific जानकारी मेल से भेजें जिससे इसका निदान करवाया जा सके।

6. Data प्रविष्टि में कोई तकनिकी समस्या आने पर Email के माध्यम से श्री राजीव रंजन राज्य समन्वयक (State Co-ordinator) NIC को D.I.Os के माध्यम से e-mail ID- rajiv.ranjan@nic.in पर जानकारी दी जा सकती है।

7. Database में प्रविष्टि का काम 31.12.2014 तक सभी जिला में पूरा कर UIN Generate कर लेने का लक्ष्य सभी जिला के लिए निर्धारित किया गया। इस सम्बन्ध में सभी अनुज्ञप्तिधारियों से विहित प्रपत्र में डाटा जिला शस्त्र शाखा में जमा करने हेतु विभाग स्तर से एक विज्ञप्ति जारी किया जायेगा।

8. सभी Nodal Officer/DAM तथा DIO, NIC को प्रत्येक माह के पन्द्रह एवं 30 तारीख को प्रगति प्रतिवेदन State Co-ordinator को उनके उपर्युक्त मेल आई0डी0 पर तथा गृह विभाग के संयुक्त सचिव के मेल आई0डी0 jointsecy.police@gmail.com पर भेजने का निदेश दिया गया।

IVFRT के संबंध में

1. निदेशक (इमिग्रेशन) ने IVFRT पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण तथा जानकारी दी और यह भी बताया कि सितम्बर 2014 तक इसे सभी जिला में कार्यान्वित कर लिया जाय। इसके कार्यान्वयन के मामले में बिहार राज्य "C" श्रेणी में है जबकि अन्य कई राज्यों द्वारा काफी प्रगति की गयी है, इसलिए प्रगति लाना अपेक्षित है।

2. जिलों में हो रहे IVFRT कार्यो की समीक्षा की गई जिलावार स्थिति निम्न प्रकार है:–

पटना– कार्य संतोषप्रद है। परन्तु, इस सम्मेलन–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय के भाग नहीं लेने पर विशेष सचिव, गृह (विशेष) के द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। विदेशियों से संबंधित कार्य Online करने का निदेश दिया गया।

वैशाली:–यहाँ ऑनलाईन सिस्टम शुरू हुआ पर काम नहीं हो रहा है। पुलिस उपाधीक्षक, पंकज कुमार राउत के द्वारा बतलाया गया कि VPN token का कार्य लंबित है। निदेश दिया गया कि ऑनलाईन कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाय।

गया:– बैठक में उपस्थित श्री सुरेन्द्र प्रसाद, अवर निरीक्षक के द्वारा बतलाया गया कि पुलिस उपाधीक्षक, श्री सतीश कुमार के द्वारा अपना आई0डी0 नहीं दिए जाने के कारण कार्य बाधित है। निदेश दिया गया कि पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी देकर तथा पुलिस उपाधीक्षक से शीघ्र आई0डी0 प्राप्त कर ऑनलाईन कार्य प्रारंभ कराया जाय।

नालंदा एवं **मुंगेर** जहाँ विदेशी पर्यटक का लगातार आवागमन होता है, को भी शीघ्र इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। अन्य जिला को भी माह सितम्बर 2014 तक कार्य को पूरा करने का निदेश दिया गया।

3. विशेष सचिव के द्वारा बतलाया गया कि इस कार्य के लिए विभाग से हार्डवेयर उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तत्काल पुलिस अधीक्षक कार्यालय के Foreign Section में उपलब्ध कम्प्यूटर से कार्य करने का निदेश दिया गया।

4. इस प्रोजेक्ट को जल्द–से–जल्द लागू करने हेतु निदेश दिया गया कि इस बैठक से वापस जाने के पश्चात् संबंधित सभी DIO अपने जिले के पुलिस अधीक्षकों से सम्पर्क कर होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस एवं शिक्षण संस्थान जहाँ विदेशियों का आवागमन होता है के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कराकर उन्हें इसके बारे में जानकारी दें तथा उनसे ऑनलाईन C-Form एवं S-Form प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह भी निदेशित किया गया कि DIO तथा प्रभारी पदाधिकारी Foreign Section सभी जिला में कम–से–कम एक होटल का रजिस्ट्रेशन अगले 15 जुलाई तक जरूर करावें। होटलवाले को पासवर्ड/ईमेल आई0डी0 को उपलब्ध कराकर उसकी सूचना NIC मुख्यालय को दें। यह भी जानकारी दी गई की उक्त कार्य हेतु VPN Token की आवश्यकता नहीं है।

5. आइ0जी0 विशेष शाखा द्वारा IVFRT को जल्द से जल्द लागू करने हेतु रेन्ज स्तर पर कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया गया तथा सितम्बर 2014 तक पूरे बिहार में लागू करने के लिए अनुरोध किया। सभी उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/DIO प्रारंभिक कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण अगले 4 सप्ताह में अवश्य करा लें।

6. IVFRT, NIC Co-ordinator ने ऑन–लाईन C-Form, C-FRO एवं S-Form पर जानकारी उपलब्ध कराई तथा डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से भी अवगत कराया। C-FRO के लिए VPN Token के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गई तथा निदेश दिया गया कि सभी D.I.O. अपने–अपने जिलों कं पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर 30 जून तक VPN Token संबंधित आवेदन को विधिवत अग्रसारित कर गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित करावें ताकि VPN Token 15 जुलाई तक सभी जिलों में प्राप्त हो सकें।

7. तकनीकी सहयोग के लिए जिला स्तर पर जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी एवं राज्य स्तर पर IVFRT, NIC Co-ordinator से संपर्क करने को कहा गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव
गृह विभाग

ज्ञापांक–7/अनु010–02/2013/गृ0आ0 5088 पटना, दिनांक 20 जून, 2014

प्रतिलिपि :–विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग/पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/2014
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/अनु010–02/2013/गृ0आ0 5088 पटना, दिनांक 20 जून, 2014

प्रतिलिपि :– Immigration Director, MHA, New Delhi/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 तीसरी मंजिल टेकनोलोजी भवन, बेली रोड, पटना/क्षेत्रीय पासपोर्ट पदाधिकारी, पटना/श्री राजीव रंजन, राज्य समन्वयक, NDAL एवं IVFRT, NIC टेकनोलोजी भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/2014
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/अनु010–02/2013/गृ0आ0 5088 पटना, दिनांक 20 जून, 2014

प्रतिलिपि :– सभी जिला नोडल पदाधिकारी, NDAL/सभी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (D.I.O.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/2014
सरकार के संयुक्त सचिव